केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

दिनांक: 28.12.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/328

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00283
CICOM/R/2018/01070

अपीलकर्ता : श्री महेन्द्र,
14 निम्बार्क नगर,
धावास रोड, जयपुर,
राजस्थान – 302021.

निर्णय की तारीख : 28.12.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.11.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	596/27.12.2018 (6823/26.12.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के साथ एक समाचार पत्र की कटिंग की फोटोप्रति लगाते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय को 2014 से 2017 के वीच केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतो से संवंधित श्री संजीव चुतुर्वेदी की अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त श्री राधा कृष्ण माथुर द्वारा जारी निर्णय एवं आर.टी.आई. आवेदन की प्रति की मांग की गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया है कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संवंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 30.10.2018 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, जिसे अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न भी किया है । **श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 DEC 2018
D. No.......
Initials.......

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

28/12/18